


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेशः

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1662/2021 सावन्त सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 10.02.2021 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.02.2021 द्वारा श्री सावन्त सिंह को राउमावि श्यामपुरा मैनाना जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत पदस्थापित रखा गया था एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री नवीन गढवाल का अन्तरिम समायोजन राउमावि कोटडी जिला जैसलमेर किया गया था। श्री नवीन गढवाल के सम्बन्ध में उक्त आदेश में आशिक संशोधन करते हुए उनका अन्तरिम समायोजन राउमावि कोटडी जैसलमेर के स्थान पर राउमावि सरडी, लाड़नूं जिला नागौर किया जाता है। उक्त समायोजन माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/सावन्त सिंह/1662/2021/192 दिनांक: 26.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर/अजमेर संभाग, चूरू/जोधपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/जैसलमेर/नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झुनूं/जैसलमेर/नागौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
✓ संयुक्त निदेशक(कार्मिक)